



**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला-अजमेर (राज.)**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या -177/2018

**पीठासीन अधिकारी:-श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)**

सत्यमेव जयते पत्नी भागूता जाति भील निवासी मेहरुकंला तहसील सावर जिला अजमेर

वादी

**बनाम**

1. भैरूलाल पुत्र किशना जाति कुम्हार निवासी आलोला तह. सावर जिला अजमेर
2. ललाराम पुत्र किशना जाति कुम्हार निवासी आलोला तह. सावर जिला अजमेर
3. रामकुमार पुत्र किशना जाति कुम्हार निवासी आलोला तह. सावर जिला अजमेर
4. भागचन्द पुत्र कंवरीलाल जाति महाजन निवासी मेहरुकंला तह.सावर जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण

**राज. काश्त. अधिनियम संपठित धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम  
निर्णय**

**दिनांक:-15.6.2018**

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प मेहरुकंला में पेश हुई।  
वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है-

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम मेहरुकंला के खाता स. 718 के खसरा नम्बर 1693/3812,1694,1695 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.97 है. दर्ज खातेदार है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थीगण ही आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण की नियत बद है अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 4 का आये दिन लडाई झगडा करता है। तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने का आदेश अप्रार्थीगण को फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात हेतु प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी आराजीयात में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। जिसके कारण वादी द्वारा उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने हेतु यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली केम्प कोर्ट मेहरुकंला में पेश हुई।  
प्रतिवादी स. 1 व 2 उप.।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार का अवलोकन किया।। वादग्रस्त आराजीयात वादी की खातेदारी की आराजीयात होने से वादीगण का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाके जमाबन्दी ग्राम मेहरुकंला के खाता स. 718 के खसरा नम्बर 1693/3812,1694,1695 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.97 है.भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्डअधिकारी  
केकड़ी